



न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर मप्र

श्री. राजेश कुमार
द्वारा आज दि. 21-5-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 31-5-18 निश्चित।

निगरानी - 3143/2018/सतना/स्टांप अधिनियम
भारती इंफ्राटेल लिमिटेड

कलकत्ता ऑफिस कोर्ट 21-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुख्य कार्यालय - भारतीय कीसेंट नॅसल मंडेला
रोड बसंत कुंज नई दिल्ली

..... निगरानीकर्ता

विरुद्ध

मप्र भासन

द्वारा कलेक्टर आफ स्टॉप

..... अनावेदक

जिला सतना मप्र

निगरानी अन्तर्गत धारा 56(4) भारतीय स्टॉप अधिनियम 1899

उक्त निगरानी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर आफ स्टॉप जिला सतना मप्र द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 33/41 भारतीय स्टॉप अधिनियम को निरस्त करने संबंधी पारित आदे 1 दिनांक 23.02.2018 के विरुद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर न्याय दान हेतु समय अवधि में प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी प्रकरण के तथ्य

- 1) यह कि निगरानीकर्ता भारत सरकार के दूरसंचार विभाग कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पंजीबद्ध कंपनी है। निगरानीकर्ता का कर्तव्य दूर संचार अधो संरचना की सेवाएं कॅटेगिरी /आई पी कंपनी के रूप में उपलब्ध कराना है, दूर दराज ईलाकों में दूर संचार देने के लिए निगरानीकर्ता द्वारा अन्य जिलों में टावर स्थापित किये जाते हैं। जिसके लिए निगरानीकर्ता लीज डीड एग्रीमेंट का निष्पादन कराते हैं
- 2) यह कि उपरोक्त क्रम में ही निगरानीकर्ता द्वारा किशोर सिंह सोलंकी आत्मज स्व: श्री जयराज सिंह सोलंकी निवासी- ग्राम गडरा पोस्ट बंदी तहसील रघुराज नगर जिला सतना से एक लीज डीड अनुबंध दिनांक 29.03.2014 को निष्पादित किया गया था। उक्त अनुबंध पत्र के पेटे स्टॉप भुलक रुपयें 6140/- का भुगतान किया गया था, परन्तु किसी कारणवः उक्त अनुबंध पत्र का पंजीयन नहीं कराया जा सका था।

Day
21/5/18
215-18

क्र. 07/21/5-18
दिनांक 21/5/18
न्यायालय व नाम

3)

यह कि उपरोक्त अनुबंध पत्र को सम्यक रूप से स्थापित होने पर उसका पंजीयन कराये जाने हेतु निगरानीकर्ता ने अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर आफ स्टॉप जिला सतना के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 33/40 भारतीय स्टॉप अधिनियम 1899 दिनांक 14.02.2017 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया था जिसमें निवेदन किया था कि निगरानीकर्ता पंजीयन भुलक अदा करने हेतु तत्पर है इस कारण उक्त विलेख का उचित पंजीयन करने की कृप्या करें परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता के उक्त आवेदन का अवलोकन किये बिना विधि को समझे बिना सरसरी तौर पर प्रकरण का निराकरण करते हुए आवेदन निरस्त करने संबंधी निगरानीग्रथ आदे 1 दिनांक 23.03.2018 पारित कर दिया। जिससे पारित करने के पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने विधि के अनुक्रम में प्रकरण भी दर्ज नहीं किया न ही निगरानीकर्ता के तर्क श्रवण किये न ही भारतीय स्टॉप अधिनियम की धारा 33/40,41 में वर्णित प्रावधानों व नियमों का पालन किया जिससे आदे 1 पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सकारणी होने से व सकारण, बोधगामी आदे 1 की श्रेणी में होने से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

9

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3143/2018/सतना/स्टा.अ.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/06/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष स्टाम्प पंजीयन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा एक टीप लगाकर आवेदन मूलतः वापस कर दिया गया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प की टीप के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी किस प्रकार प्रचलन योग्य है। उक्त संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कोई स्पष्ट कारण अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य न होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। आवेदक अधिवक्ता सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र हैं।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	